न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 97/2008 (2008/00026) दायर दिनांक 09.07.2008
वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. कैलाश पिता रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती सुशीला पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती सन्जूडी पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. कालुसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक जरिये कायम मुकाम:–
   1/1. महेन्द्रसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/2. बलवीरसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/3. दुर्गाकंवर पिता कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/4 मु0 चांद कंवर बेवा कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण:– श्री लक्ष्मीलाल जाट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण:– श्री सुनिल बापना

दिनांक 05.02.2021

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस [illegible] है कि राजस्व ग्राम माकड़िया तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में [illegible] आराजियात खसरा नं0 893/28 रकबा 5 बीघा 10 [illegible] 2 बीघा 5 बिस्वा, 966/8क रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी [illegible] 970/31 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा [illegible] किता चार कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा स्थित [illegible] उपरोक्त आराजियात हम वादीगण के पिता रामकरण का देहान्त हो जाने के बाद विरासत से उपरोक्त आराजियात हम वादीगण के नाम खातेदारी हके से दर्ज हुई। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि ग्राम माकड़िया का भुप्रबंध हुआ, भुप्रबंध के दोरान साबिक आराजी संख्या 896/31 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नं0 970/31 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर मात्र दो कायम किये गये जो नये आराजी संख्या 2125 रकबा 0.68 हे0, 2126 रकबा 0.40 हे0 किता 2 रकबा 1.08 हे0 कायम किये। साबिक आराजी नं0 893/28 का नया नम्बर कायम नहीं किया गया न रकबा कायम किया गया। जिस पर वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् सहायक लेण्ड रेकार्ड आफिसर साहब गंगापुर के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 का पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 36/2000 होकर उक्त प्रार्थना पत्र में विधिवत सुनवाई की जोने के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2002 में यह आदेष पारित किया गया कि साबिक आराजी नं0 893/28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर कायम कर वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जावे। तत्पष्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा साबिक आराजी संख्या 893/28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के नये आराजी नं0 2119 रकबा 0.38 हे0 एवं 2119/1 रकबा 0.59 हे0 किता 02 रकबा 0.97 हे0 ही कायम किये गये जबकि साबिक रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के आधार पर नये नम्बर एवं जो नया रकबा कायम किया गया वह पुराने के मुकाबले नया रकबा 1.19 हे0 कायम किया जाना चाहिए था जो नही किया एवं मात्र 0.97 हे0 ही कायम किया जो 0.22 हे0 कम कायम किया गया तथा जो नया नम्बर 2119/2 रकबा 0.38 हे0 कायम किया गया यह पूरा नम्बर प्रतिवादी संख्या एक कालुसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया व शेष रकबा आराजी संख्या 2119/1 रकबा 0.59 हे0 हम वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दिया गया हैं जो गलत है। जिस से हम वादीगण घोषणात्मक डिक्री इस अमर की प्राप्त करने के अधिकारी है कि ग्राम माकड़िया की साबिक आराजी नं0 893/28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर 2119/2 रकबा 0.38 हे0 रकबा कालुसिंह पिता रघुनाथसिंह के नाम गलत तरीके के दर्ज हो गया है को हम वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। और साबिक आराजी नं0 893/28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर 2119/2 रकबा 0.38 हे0 एवं आराजी नं0 2119/1 रकबा 0.59 हे0 किता दो रकबा 0.97 हे0 कुलिया को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है और भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक आराजी नं0 893/28 का पुराने रकबा के मुकाबले में न्यायालय श्रीमान् सहायक लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर साहब गंगापुर द्वारा पारित आदेष दिनांक 05.03.2002 की [illegible] पूर्ण रूप से नहीं कर 0.22 हे0 का रकबा कम कायम किया जो पूरा [illegible] साबिक आराजी नं0 893/28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले में नया [illegible] हे0 कायम करा हम वादीगण अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज [illegible] के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(भू-प्रबंध अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादीगण ने प्रार्थना की है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आषय की घोषणात्मक डिक्री जारी कराया जावे कि ग्राम माकड़िया के साविक आराजी नं0 893/28 रकवा 5 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर 2119/2 रकवा 0.38 हे0 एवं आराजी नं0 2119/1 रकवा 0.59 हे0 किता दो रकवा 0.97 हे0 कायम किये गये जिसमें आराजी नं0 2119/1 रकबा 0.59 हे0 वादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया, परन्तु नये आराजी नं0 2119/2 रकबा 0.38 हे0 प्रतिवादी संख्या एक कालुसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपुत निवासी माकड़िया के नाम कर दी है को हम वादीगण क नाम दर्ज कराया जावे तथा कालुसिंह का नाम राजस्व जमाबंदी से हटाया जावे और साबिक आराजी नं0 893/28 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के बजाय भुप्रबंध अधिकारियों ने मात्र 0.97 हे0 ही कायम किया है के बजाय 1.19 हे0 कायम करा हम वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जावे। और प्रतिवादी संख्या एक कालुसिंह के नाम दर्ज रकबा 0.38 हे0 को भी वादीगण के नाम दर्ज कराया जावे।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.07.2008 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जवाबदावा पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित तथ्यों की पुख्ता जानकारी मुझ प्रतिवादी को नहीं है वादीगण अपनी पुष्ट शहादतो से प्रमाणित करावे। रामकरण गर्ग के वादीगण के अलावा भी और वारिसान है जिनको वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादपत्र वादीगण अपास्त योग्य है। इसी प्रकार वादपत्र की कलम नं0 02 का जवाब दिया है कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नं0 970/31 के नये नम्बर 2125 व 2126 नही बने है। वादीगण अपनी पुष्ट शहादत से इस तथ्य को साबित करावे। इसी प्रकार वादीपत्र की कलम संख्या 3, 4, 5, 6 गलत होना बताकर अस्वीकार किया है। कलम संख्या 7 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। कलम संख्या 8, 9, 10 को भी गलत होना बताकर अस्वीकार किया है। इस प्रकार वादीगण वांछित दादरसी प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है क्योंकि हाल आराजी नं0 2119 साबिक आराजी नं0 893/28 से नही बने है बल्कि साबिक आराजी नं0 970, 749, 896/4921 से नवीन नंबर 2119 रकबा 0.97 एयर बने एवं शुद्धि पत्र दिनांक 15.06.2004 से आराजी नं0 2119/2 के नवीन नंबर 2205/2119 बने है जो रकबा अनुसार सही बने है। एवं वाद पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। राज्य सरकार द्वारा भी जवाब पेश नहीं करने से जवाबदेही बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की गईः–

1. आया वादग्रस्त आराजियात के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।

.... जिम्मे वादीगण

2 आया वादीगण द्वारा वाद गलत तथ्यों पर पेश किया है एवं विनाय वाद होना अंकित नहीं किया है अतः वाद आदेष – 7 नियम – 11 के तहत चलने योग्य नहीं है।

..... जिम्मे प्रतिवादी

3. दादरसी!

वादपत्र में तनकियात कायम किये जाने के बाद साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1, लेखबद्ध करा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2036 से 2039 तक पेश की है जो प्रदर्श –2 है। नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 तक की प्रदर्श –3 है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –4 है, छुटे हुए खातो की सूची प्रदर्श –5 है। नकल नामान्तरण संख्या 36 प्रदर्श –6 है। नकल जमाबंदी संवत् प्रदर्श – 7 है। इसी प्रकार वादी की ओर से साक्ष्य वादी में श्री सत्यनारायण पिता मोहन गर्ग एवं रामलाल पिता लालुराम गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा द्वारा बयान क्रमशः पी.डब्ल्यू – 1, पी.डब्ल्यू – 2, लेखबद्ध कराये गये जिनपर जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई उक्त गवाह श्री कैलाश ने मुख्य परीक्षण में बताया कि मैंनें दिनांक 26.03.2012 को मुख्य परीक्षा का शपथ – पत्र पेश किया जिसमें वर्णित प्रदर्श 1 से 7 डाले गये ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। शपथ पत्र में अंकित तथ्य मेरी जानकारी में होकर सही है। यह सही है कि बिनाय दावा अंकित होकर लिखवाया अथवा नहीं लिखवाया मेरी जानकारी में नहीं है। कालुसिंह क नाम जमीन शुद्धि पत्र के आधार पर गई अथवा नहीं , शुद्धि पत्र को निरस्त करने का दावा किया अथवा नहीं मुझे पता नहीं है। शुद्धि पत्र की नकल कालुसिंह ने पेश की अथवा नहीं मुझे पता नहीं है। नकले सभी पेश की मुझे पता नहीं है। प्रदर्श 1 से 7 पेश किये हैं मुझे पता नहीं है। हमने दावा इस बात का किया कि हमारे पिताजी के नाम पर 10 बीघा 10 बिस्वा जमीन थी। सेटलमेन्ट विभाग ने नम्बर छोड़ दिये। वो नम्बर कालूसिंह प्रतिवादी के नाम पर चले [illegible] ही चल रही है। किस – किस नम्बर का दावा किया मुझे पता [illegible] है आराजी नं0 2116 का दावा पेश किया जो साढे पांच बीघा है। [illegible] खुद रखा है लोन लेकर खुदवाया या नहीं मुझे ज्ञात नहीं है। 2116 [illegible] मेरे नाम पर करवाना चाहता हूँ। इस प्रकार वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: SelfAttested

4.

उपखण्ड अधिकारी

साक्ष्यप्रतिवादी हेतु प्रतिवादी कालुसिंह के कायम मु0 1/1 श्री महेन्द्रसिंह पुत्र कालुसिंह, इसी प्रकार प्रतिवादी की साक्ष्य में श्री गोकल पिता पेमा रेगर, भेरूलाल पिता जोधा अहीर निवासी भूणास तहसील सहाड़ा द्वारा क्रमशः शपथ पत्र डी.डब्ल्यू – 1, डी.डब्ल्यू – 2, डी.डब्ल्यू – 3 पेश किये। श्री कालुसिंह ने डी.डब्ल्यू – 1 लेखबद्ध करा बयान किया कि मैंने शुद्धि पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–1, जमाबंदी संवत् 2044–47 प्रदर्श डी–2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श डी–3 एवं डी–5, नामान्तरण संख्या 36 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–6 और मिलान खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–4 पेश की है। जमाबंदी संवत् 2061–64 पेश की जो प्रदर्श डी–7 एवं जमाबंदी संवत् 2057– 60 जो प्रदर्श डी–8 है। जिसपर जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई आराजी नं0 930/31 के नये नम्बर क्या पड़े मेरी जानकारी में नही है आराजी नं 893/28 के नये नम्बर क्या पड़े मुझे जानकारी में नहीं है। यह कहना सही हैं कि आराजी नं0 2119 रकबा 0.97 बिलानाम भूमि थी। मेरे पापा ने क्या–क्या दस्तावेज पेश किये मेरी जानकारी में नही है। इस खाते के अलावा मेरे पिताजी कालुसिंह जी के करीब 7–8 बीघा होगी सामलाती अलग है। मेरी ओर से उक्त पत्रावली में 91 की कोई पेलन्टी रसीद पेश नहीं की गई है। यह सही हैं कि मैने आराजी संख्या 2119 की गिरदावरी पत्रावली में पेश की थी। पत्रावली देखकर फिर कहा कि मेरी ओर से कोई गिरदावरी पेश नहीं की गई। आराजी संख्या 2119/2 के नये नम्बर क्या हैं मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी के नाम जमीन खाते करने का आदेश श्रीमान् एस0डी0एम0 सा0 के यंहा से सन् 1998 में हुआ था। शुद्धीपत्र किस तारीख को पेश हुआ मुझे जानकारी नहीं। आराजी संख्या 893/28 का रकबा कितना है मुझे जानकारी नहीं है। 1 बीघा में कितना ऐयर होता हैं मुझे जानकारी में नहीं है। एक बीघा में 20 बिस्वा होता है आराजी संख्या 2119 का कितना बटा नम्बर पड़े मुझे जानकारी नहीं है। मैं आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में नहीं समझतता हूँ। साबिक आराजी नं0 830/20, 896/31, 866/8क, 970/31 किता 4 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा पूर्व में रामकरणजी के खाते में रही तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जमाबंदी देखना नहीं आता है। सेटलमेन्ट कब हुआ मुझे जानकारी नहीं है। प्रदर्श डी–2 के साबिक नम्बर क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ। ये किसके मध्य है मुझे नहीं पता है।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र में बहस सुनाये जाने हेतु निवेदन किया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष कारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1 प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2036 से 2039 तक पेश की है जो प्रदर्श –2 है। नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 तक की प्रदर्श –3 है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –4 है, छुटे हुए खातो की सूची प्रदर्श –5 है। नकल नामान्तरण संख्या 36 प्रदर्श ... है नकल जमाबंदी संवत् प्रदर्श – 7 है तथा साथ ही बयान गवाहों को ... रखते हुए वादपत्र में चाही गई रिलीफ अनुसार वादीगण को खातेदार ... घोषित फरमाया जावें एवं तदनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाये जाने बाबत् निवेदन किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने निम्नानुसार लिखित बहस पेश कर वादपत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
... जिला ... (राज.)

1. यह है कि वादीगण ने दिनांक 29.12.2008 को माननीय न्यायालय में एक वादपत्र धारा–88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् मृतक कालु सिंह जी राजपुत एवं तहसीलदार साहब सहाड़ा मुकाम गंगापुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम माकड़िया की आराजी नम्बर 893 / 28 के नये नम्बर 2192 / 2 व 2119 / 1 कुल किता 02 के रकबा 0. 97 बीघा हैक्टेयर कायम किये गये जिसमें से आराजी संख्या 6119 / 01 रकबा 0.59 हैक्टेयर वादीगण के नाम पर दर्ज कर दिया गया किन्तु नये आराजी नम्बर 2119 / 02 रकबा 0.38 हैक्टैयर प्रतिवादी संख्या 01 कालु सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह निवासी माकड़िया के नाम पर कर दी जिससे कालु सिंह राजपुत का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर कालु सिंह के नाम पर किया जाये।
2. यह है कि मृतक प्रतिवादी कालु सिंह राजपुत की ओर से दिनांक 22 / 12 / 2008 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व दिनांक 16.11.2010 को निम्न दो तनकीयां कायम की गई :– 1. वादीगण वादग्रस्त आराजियात को खातेदारी की घोषणा का अधिकार रखते हैं। ––बेजिम्मे वादीगण,
2. वादीगण द्वारा वाद गलत तथ्यों पर पेश किया गया हैं एवं बिनाय वाद होना अंकित नहीं किया गया हैं। अतः वाद आदेश–7 नियम–11 के तहत चलने योग्य नहीं हैं। ––बेजिम्मे प्रतिवादीगण
3.––दादरसी

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से वादी संख्या 01 कैलाशन्द्र ने दिनांक 26.03.2018 को अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र पेश किया जिससे दिनांक 22.07.2013 को जिरह की गई जिसमें उसने अंकित कराया कि शपथ–पत्र में अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। यह भी सही है कि बिनाय वाद अंकित होना लिखवाया हैं अथवा नहीं मेरी जानकारी में नहीं हैं। कालु सिंह के नाम जमीन शुद्धिपत्र के नाम पर गई अथवा नहीं। शुद्धिपत्र को निरस्त कराने का दावा किया अथवा नहीं पता नहीं। शुद्धि पत्र की नकल भी कालु सिंह ने पेश की अथवा नहीं। नकले सभी पेश की थी अथवा नहीं। प्रदर्श डी–1 से डी–7 पेश की हैं मुझे पता नहीं। हमने दावा इस बात का किया हैं कि 10 बिघा 10 बिस्वा जमीन थी। सेटलमेन्ट विभाग ने नम्बर छोड़ दिये वो नम्बर कालु सिंह प्रतिवादी के नाम पर चले गये वह अभी उसके नाम पर ही चल रहे हैं, किसके नम्बर का दावा किया मुझे पता नहीं। आराजी नम्बर 2116 का दावा पेश किया जो साढे पांच बिघा का हैं, कालु सिंह ने कुंआ खोद रखा हैं लोन लेकर खुदवाया हैं या नहीं मुझे ज्ञात नहीं हैं। आराजी नम्बर 2116 को मेरे नाम पर [illegible] चाहता हूँ।
3. यह कि वादीगण की ओर से पी[illegible] व पीडब्ल्यू–3 के मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र तो प्रस्तुत किये [illegible] के लिए उनको उपस्थित नहीं रखा इसलिए मान[illegible] वादीगण की शहादत बंद की गई। वादीगण की ओर से मात्र पीडब्ल्यू-[illegible] कैलाशचन्द्र के बयान ही रिकॉर्ड पर हैं जिसके समर्थन में किसी भी साक्षी के बयान रिकॉर्ड पर नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: SelfAttested

6.

सहायक कलेक्टर
(सहायक अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

4. यह कि वादीगण ने आराजी नम्बर 2116 का वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया और शहादत में यह अंकित कराया कि आराजी नम्बर 2116 वादीगण के नाम पर दर्ज कराया जावे। वादीगण के वादपत्र व शहादत जो आई हैं दोनों में विरोधाभास हैं। वादपत्र में साबिक आराजी नम्बर 893/28 के हाल नम्बर 2119/01 व 2119/02 जिसका रकबा क्रमशः 059 व 038 हैं इसमें से आराजी नम्बर 2119/1 तो उनके नाम पर दर्ज हो गई है और आराजी नम्बर 2119/02 जो कि प्रतिवादी कालु सिंह राजपुत के नाम प दर्ज हो गई जिसे हटाया जाकर वादीगण के नाम पर दर्ज कराई जावे। जबकि शहादत से इस तथ्य को साबित नहीं कराया हैं।
5. यह कि आराजी नम्बर 2119/02 रकबा 0.38 हैक्टेयर प्रतिवादी कालु सिंह राजपुत के नाम पर समस्या समाधान शिविर महेन्द्रगढ़ दिनांक 20.09.1998 में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर द्वारा कालु सिंह राजपुत के नाम पर दर्ज कर दी गई जिसका इंतकाल संख्या 2636 खोला जाकर प्रतिवादी कालु सिंह के नाम पर दर्ज की गई हैं। जो वर्तमान में भी कालु सिंह राजपुत के विरासत से प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हैं।
6. यह कि वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादी के विरुद्ध कोई बिनाय वाद अंकित नहीं किया हैं और राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा को पक्षकार न बनाकर तहसीलदार सहाड़ा को पक्षकार बनाया हैं जो सरासर गलत हैं। वादपत्र में राजस्थान राज्य (State of Rajasthan) Legal Term हैं न की तहसीलदार साहब सहाड़ा।
7. यह कि प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकी नम्बर 02 जिसके लिए उन्होंने प्रतिवादी महेन्द्र सिंह राजपुत साक्षी गोकुल रेगर व भैरु लाल अहीर को पेश किया जिन्होने अपने सशपथ बयान में यह अंकित किया कि वे कई वर्षो तक कालु सिंह के सिजारी रहे हैं। उन्होंने वाद वर्णित आराजियात पर प्रारम्भ से कालु सिंह का कब्जा देखा।वादीगण का कभी कब्जा ही नहीं देखा, वादीगण की ओर से आराजी संख्या 2116 व 2119/02 की गिरदावरी की नकल भी प्रस्तुत नहीं की जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आराजी नम्बर 2119/02 पर वादीगण का कभी कब्जा रहा हो। वादीगण ने शुद्धिपत्र अथवा समस्या समाधान शिविर में हुए निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं की हैं इसलिए समस्या समाधान शिविर के जरिये खोला गया इंतकाल संख्या 36 व शुद्धिपत्र नातिक हो चुके हैं।
8. यह कि माननीय न्यायालय को यह देखना है कि वादीगण ने आराजी नम्बर 2119/02 जो कि समस्या समाधान शिविर केन्द्र महेन्द्रगढ़ में लगा उसके जरिये आराजी संख्या 2119/02 में रकबा 0.38 हैक्टेयर प्रतिवादी कालु सिंह के नाम पर दर्ज हुई हैं। जिसमे शिविर प्रभारी श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर ही थे। वादीगण ने अपनी शहादत में अपने जिम्मे की तनकी संख्या 02 बाबत शहादत प्रस्तुत की एवं इससे सम्बन्धित रिकॉर्ड भी पेश किया हैं ऐसा कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं आया हैं। इस प्रकार तनकी नम्बर 02 को वादीगण ने अपनी मौखिक व लिखित साक्ष्य से प्रमाणित करा दिया हैं। इस प्रकार वादी का वादपत्र प्लीडिंग-व शहादत में भारी विरोधाभास होने के कारण वादीगण का वादपत्र खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchol
Date: 2021.02.18 13:30:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

मैंने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण पर मनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बयान गवाहान का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर – 1

तनकी नम्बर – 1 को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने आराजी नम्बर 2116 का वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया और शहादत में यह अंकित कराया कि आराजी नम्बर 2116 वादीगण के नाम पर दर्ज कराया जावे। वादीगण के वादपत्र व शहादत जो आई हैं दोनों में विरोधाभास हैं। वादपत्र में साबिक आराजी नम्बर 893 / 28 के हाल नम्बर 2119 / 01 व 2119 / 02 जिसका रकबा क्रमशः 059 व 038 हैं इसमें से आराजी नम्बर 2119 / 1 तो उनके नाम पर दर्ज हो गई है और आराजी नम्बर 2119 / 02 जो कि प्रतिवादी कालु सिंह राजपुत के नाम प दर्ज हो गई जिसे हटाया जाकर वादीगण के नाम पर दर्ज कराई जावे। जबकि शहादत से इस तथ्य को साबित नहीं कराया हैं। साथ ही वादी द्वारा पेश प्रदर्श –5 में भूप्रबंध द्वारा छुटे हुए खातो की सूची में अंकित खसरा संख्या 896, 894 / 28 पर कैलाश पिता रामकरण, सुशीला, संजुडी पुत्री रामकरण गर्ग सा0देह खातेदार के विशेष विरण में कब्जा नहीं होना जाहिर हुआ है। तथा प्रदर्श डी–6 नामान्तरकरण में एसडीएम आदेश पालना में विधिवत दर्ज रेकार्ड की कार्यवाही की गई है। अतः तनकी नं. 1 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर –2

तनकी नम्बर –2 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादी के विरूद्ध कोई बिनाय वाद अंकित नहीं किया हैं और राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा को पक्षकार न बनाकर तहसीलदार सहाड़ा को पक्षकार बनाया हैं जो सरासर गलत हैं। वादपत्र में राजस्थान राज्य (State of Rajasthan) Legal Term हैं न की तहसीलदार साहब सहाड़ा। प्रतिवादीगण ने अपनी शहादत में अपने जिम्मे की तनकी संख्या 02 के बाबत् शहादत प्रस्तुत की एवं इससे सम्बन्धित रिकॉर्ड भी पेश किया हैं जिसका कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं आया हैं। अतः तनकी नं. 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

चूंकि वादपत्र की समस्त तनकिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतएवं

:: आदेश::

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 रा.टि.एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchor
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पचौली)
सहायक कलक्टर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 8.

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 97/2008 (2008/00026) दायर दिनांक 09.07.2008
वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. कैलाश पिता रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती सुशीला पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती सन्जूडी पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. कालुसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक जरिये कायम मुकाम:–
   1/1. महेन्द्रसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/2. बलवीरसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/3. दुर्गाकंवर पिता कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/4 मु0 चांद कंवर बैवा कालुसिंह राजपूत निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल जाट एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल बापना की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ——×—— और इस वाद के खर्च लेखे ——×—— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ——×—— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ——×—— द्वारा ——×—— को दी जाए।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 [illegible] से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा (राज0)

डिक्री आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा (राज0)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)